संख्या–1644/अड़तिस–6–09–5एसजीएसवाई/2000

प्रेषक,

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ दिनांकः 15 जुलाई, 2009

विषयः– स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–1595/38–6–08–5एसजीएसवाई/2000टीसी,दिनांक–14–7–2008को अवकमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी सेक्टर की प्रशिक्षण एजेन्सियों के चयन के लिए निम्नलिखित चयन समिति गठित की जाती हैः–

(1) – मा0 ग्राम्य विकास मंत्री, उ0प्र0 – अध्यक्ष
(2) – प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन – सदस्य
(3) – महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0 अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि – सदस्य
(4) – आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ – सदस्य/संयोजक

2– समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित होगी जो गुणवत्ता, अनुभव व अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर संस्थाओं का चयन करेगी व पूर्व में चयनित संस्थाओं के कियाकलापों का जनपद से प्राप्त होने वाले फीडबैक तथा राज्य गुणवत्ता मानीटरिंग की आख्या के आधार पर परीक्षण करके उन्हें सूची से हटाने का निर्णय भी लेगी ।

3– इन संस्थाओं के चयन हेतु समय–समय पर राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा तथा उनके रिस्पांस में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों व शासन अथवॉ आयुक्त, ग्राम्य विकास को सीधे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर भी यह समिति विचार करेगी।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–546/38–6–2009–7एसजीएसवाइ/09 टीसी

प्रेषक,

रोहित नन्दन
प्रमुख सचिव
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उ0प्र0, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक: 10 मार्च, 2009

विषय : स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत प्रभावी प्रशिक्षण के आयोजन हेतु प्रशिक्षण संस्थाओं की क्षमता एवं कार्य योजना की समीक्षा हेतु समिति के गठन के संबध में।

महोदय,

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत स्वरोजगारियों के कौशल उन्नयन, दक्षता विकास /प्रशिक्षण हेतु विशेष बल दिया जाता है। योजनान्तर्गत विभिन्न उद्यमों में प्रभावी एवं उपयोगी प्रशिक्षण व कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण माडयूल एवं व्यवहारिक कार्ययोजना पर विचार की आवश्यकता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित स्वरोजगारियों का अनुकूल ज्ञान संवर्द्धन हो सके तथा अपने स्तर को ऊचाँ उठा सके।

2. अतः उपरोक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0एसवाई0 अंतर्गत प्रशिक्षण के लिये चिन्हित /स्वीकृत संस्थाओं की क्षमता के आधार पर ,कार्यक्षेत्र, माड्यूलस के कन्टेंट तथा पेमेंट की प्रक्रिया तय करने तथा स्वीकृत संस्थाओं के कार्यो की समीक्षा हेतु निम्नवत समिति गठित किये जाने की राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते है:–

1.	प्रमुख सचिव , ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, ग्राम्य विकास	सदस्य/ सचिव
3.	**महानिदेशक, राज्य ग्राम विकास संस्थान के प्रतिनिधि**	**सदस्य**
4.	अपर आयुक्त, ग्राम्य विकास	सदस्य

3. आयुक्त ग्राम्य विकास द्वारा चयनित संस्थाओं के संबंध में बैठक हेतु आवश्यक सूचना /टिप्पणी समय –समय पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या–546 (1)/अडतीस–6–2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक, राज्य ग्राम विकास संस्थान उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर आयुक्त ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3. विशेष कार्याधिकारी , ग्राम्य विकास , उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव /विशेष सचिव, ग्राम्य विकास , उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(शिव शंकर सिंह)
विशेष सचिव

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास, उ० प्र०

(विशाल राय)
अपर आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0

RD 6 smita

संख्या– 153 / /अड़तिस–6–09–7एसजीएसवाई/09टीसी

प्रेषक,

रोहित नन्दन
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6

लखनऊः दिनांक– 29, जून, 2009

विषयः– स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत चयनित संस्थाओं/एन0जी0ओ0 द्वारा ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों के सदस्य के प्रशिक्षण कार्यकम के कियान्वयन के संबंध में मानक शर्तें ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1355/अड़तीस–6–09–7एसजीएसवाई/09 टी0सी0 दिनांक 5–6–09 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत चयनित संस्थाओं द्वारा ग्रामीण बी0पी0एल0 परिवारों के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में मानक शर्तें निर्धारित की जाती हैं जो निम्नवत हैं:–

1– सम्बन्धित मण्डल /जनपद में प्रशिक्षण कार्यकमों के कियान्वयन के संबंध में चयनित संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु बी0पी0एल0 श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन हेतु कम से कम दो राज्य स्तरीय समाचारपत्र जिनका मण्डल एवं जनपद में सर्वाधिक प्रचलन हो, में विज्ञापन निकालकर अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण हेतु संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। संबंधित संस्थायें अपने प्रशिक्षण केन्द्रों की आबंटित क्षमता के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर बी0पी0एल0 श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण हेतु सूची तैयार करेंगी तथा चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित जनपद के परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध करायेंगी। यदि परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 द्वारा भी प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों की सूची दी जाती है तो संस्था द्वारा इन अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन से प्राप्त आवेदनपत्र तथा परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0 द्वारा प्रशिक्षण हेतु दी गयी अभ्यर्थियों की सूची का मिलान संबंधित जनपद के परियोजना निदेशक द्वारा वर्ष 2002 में कराये गये बी0पी0एल0 सर्वे की इन्टरनेट पर उपलब्ध सूची से किया जायेगा। सूची विभाग की वेबसाइट rd.up.nic.in पर उपलब्ध है।

2– संस्था द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची के साथ प्रशिक्षण की ट्रेड, प्रशिक्षण के प्रारम्भ होने एवं समाप्त होने की तिथि, प्रशिक्षण का माड्यूल, प्रशिक्षण का स्थल,

संस्था के प्रतिनिधि का नाम एवं मोबाइल नंबर भी परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराया जायेगा।

3— संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षार्थियों के चयन में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नहीं लिया जायेगा।शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर यदि उसकी पुष्टि होती है तो सम्बन्धित संस्था को विभाग की सूची से पृथक कर दिया जायेगा ।

4— मण्डलीय मुख्यालयों पर प्रशिक्षण हेतु जो संस्थायें चयनित की गई हैं वह मण्डल के समस्त जनपदों से बिन्दु–1 के अनुसार कार्यवाही करके अभ्यर्थी का चयन करेगी। यह संस्थायें प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के सापेक्ष भुगतान का अपना दावा मण्डल मुख्यालय के जनपद के परियोजना निदेशक की संस्तुति के साथ आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रस्तुत करेंगी।

5— संस्था अपने अनुमोदित स्थल के अतिरिक्त परियोजना निदेशक की पूर्व अनुमति से विकास खण्ड परिसर में ही उपलब्ध कराये गये स्थान पर प्रशिक्षण दे सकती है। उपरोक्त के अतिरिक्त इस प्रशिक्षण हेतु कोई सब सेन्टर नहीं खोलेगी और न ही किसी नाम से फेन्चायजी/कोआर्डिनेटर/एजेन्ट आदि नामित करेगी। यदि किसी भी समय ऐसा पाया जाता है कि संस्था प्रशिक्षण का कार्य स्वयं न कराकर किसी अन्य संस्था से प्रशिक्षण कराती है तो ऐसी दशा में कोई भी भुगतान संस्था को नहीं किया जायेगा। ऐसा पाये जाने पर संस्था को नियमानुसार विभाग की सूची से प्रथक कर दिया जायेगा इसके लिए आयुक्त ग्राम विकास अधिकृत होंगे।

6— संस्था को केवल उन्ही प्रशिक्षार्थियों का भुगतान किया जायेगा जिनकी उपस्थिति कम से कम 70 प्रतिशत होगी।

7— संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की सूचना तत्काल परियोजना निदेशक को उपलब्ध कराई जायेगी जिसका निरीक्षण परियोजना निदेशक या उनके द्वारा नामित कम से कम श्रेणी–2 स्तर के अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यह निरीक्षण 07 दिन के अंदर करके निम्नलिखित प्रारूप पर अपनी आख्या परियोजना निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी :–

क0सं0	निरीक्षण के बिन्दु	टिप्पणी
1	2	3
1	संस्था द्वारा प्रशिक्षण, प्रशिक्षण का ट्रेड, स्थान, प्रारम्भ की तिथि एवं अवधि	
2	निरीक्षण की तिथि	
3	निरीक्षण के समय संस्था की ओर से उपलब्ध प्रतिनिधि का नाम	
4	निरीक्षण के समय उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या।	
5	प्रशिक्षणार्थियों की संतोषजनक उपस्थिति (कम से कम 70 प्रतिशत) उपस्थिति पंजिका से चेक की जायेगी।	
6	प्रशिक्षण पूर्व में दिये गये माड्यूल के अनुरूप है	

	अथवा नहीं?	
7	प्रशिक्षण का स्तर संतोषजनक अथवा असंतोषजनक है। इस संबंध में प्रशिक्षणार्थियों से भी feed back प्राप्त कर कारण सहित टिप्पणी अंकित की जायेगी।	
8	यदि प्रशिक्षण असंतोषजनक है तो निरीक्षणकर्ता द्वारा स्पष्ट कारण दिया जायेगा।	

8— परियोजना निदेशक/निरीक्षणकर्ता टीम द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के सात दिन के अन्दर प्रशिक्षण का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण आख्या के आधार पर संतोषजनक प्रशिक्षण होने पर 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान संबंधित संस्था को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के 10 दिन के अंदर किया जायेगा। यदि प्रशिक्षण का स्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संस्था को प्रशिक्षण में आवश्यक सुधार किये जाने हेतु 15 दिन का समय दिया जायेगा । द्वितीय निरीक्षण उक्त अवधि समाप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर किया जायेगा जिसकी पूर्व सूचना संस्था को यथासमय दी जायेगी।

9— यदि संस्था द्वारा प्रशिक्षार्थियों को सेवायोजन का आश्वासन दिया गया है तो प्रशिक्षण पूर्ण होने पर संस्था को निर्धारित धनराशि का 40 प्रतिशत अवमुक्त किया जायेगा। शेष 30 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान प्रशिक्षणार्थियों के 50 प्रतिशत प्लेसमेंट का प्रमाण प्रस्तुत करने एवं 15 दिन के अन्दर उसके सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा। सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण हेतु कम से कम 70 प्रतिशत सेवायोजन कराना अनिवार्य होगा। जिन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण केवल स्वरोजगार के लिये दिया जा रहा है तथा जिन पर प्लेसमेंट की शर्त न लगाई गई हो ऐसे मामलों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर अवशेष धनराशि 15 दिन के अंदर अवमुक्त कर दी जायेगी।

10— एसजीएसवाई की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रशिक्षण मद में सम्पूर्ण प्राविधानित धनराशि की 10 प्रतिशत धनराशि व्यय किये जाने का प्राविधान है। अतः परियोजना निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त निर्धारित धनराशि की सीमा के अर्न्तगत ही प्रशिक्षण कराया जाये। जिन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार आरम्भ करने हेतु ट्रेनिंग किट का प्राविधान किया गया है वे संस्थायें निःशुल्क ट्रेनिंग किट उपलब्ध करायेंगी जिस पर होने वाला व्यय उक्त निर्धारित व्यय की सीमा में ही सम्मिलित होगा।

11— संस्था को स्पष्ट करा दिया जाए कि जनपद स्तरीय निरीक्षण के अतिरिक्त राज्य स्तर से भी प्रशिक्षण के गुणवत्ता निरीक्षण हेतु क्वालिटी मानिटर प्रशिक्षण की गुणवत्ता का निरीक्षण करेगें। क्वालिटी मानिटर द्वारा निरीक्षण आख्या सम्बन्धित जिले के परियोजना निदेशक को दी जायेगी तथा उसकी एक प्रति आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश को भी दी जायेगी। मण्डल स्तर पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यकम की निरीक्षण आख्या सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त विकास आयुक्त को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उसकी एक प्रति आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश को भी दी जायेगी। निरीक्षण आख्या के आधार पर भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

12— संस्थाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का निरीक्षण सम्बन्धित जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी, आयुक्त, ग्राम्य विकास अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी अथवा शासन स्तर से नामित अधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से हटाया जा सकता है अथवा ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। यह अधिकार आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश का होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील शासन स्तर पर की जायेगी।

13— स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के सम्बन्ध में प्रशिक्षण के कम में समय—समय पर जारी नीतियों /मार्गनिर्देशों / शासनादेशों का अनुपालन करने के लिए संस्था बाध्यकारी होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रशिक्षण आरम्भ करने से पूर्व संस्थाओं से सहमतिपत्र प्राप्त कर लिया जाये।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या—153 (1)/अडतिस—6—09—7एसजीएसवाई/09टीसी

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
2— समस्त मण्डलायुक्त , उ0प्र0।
3— समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी उ0प्र0।
4— समस्त संयुक्त विकास आयुक्त , उ0प्र0।
5— समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
6— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ)
विशेष सचिव।

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अर्न्तगत रोजगार परक प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रतिभागी का फोटो

जिले का नाम.....

आवेदक के परिवार के मुखिया का नाम.....
आवेदक से संबंध.....
बी0पी0एल0 नम्बर.....
(वर्ष 2002 के बीपीएल सर्वे के आधार पर)
प्रशिक्षण हेतु इच्छुक ट्रेडः.....

1	आवेदक का नाम	
2	पिता/पति का नाम	
3	स्थायी/अस्थायी पता जिसमें पत्रव्यवहार के स का अंकन हो	
4	जन्म तिथि	
5	शैक्षिक योग्यता	
6	अन्य कोई योग्यता/ अनुभव	
7	सामान्य/ एस0सी0/एस0टी0/ अल्प संख्यक अन्य पिछड़ावर्ग (महिला/पुरूष)	
	आवेदनकर्ता का हस्ताक्षर	